Lec-18

Smt. Shanta Singh (1)
Dept. of LSW
SNSRKS College, Saharsa

हड़ताल
(Strike)

हड़ताल श्रमिकों के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण शस्त्र होता है, जिसका प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक विवादों या मतभेदों के सुलझाने के लिए अंतिम शस्त्र के रूप में किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार हड़ताल का अर्थ है—

"किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बन्द कर देना या इस प्रकार नियोजित रहने या नियोजित रह चुकने वाले व्यक्तियों की किसी संख्या द्वारा सामूहिक रूप से या सामान्य समझ के अनुसार काम करते रहने या नियोजन स्वीकार करने से इनकार करना।"

(Strike means a cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination, or a concerted refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment.)

इस तरह, जब श्रमिक अपने हितों एवं अधिकारों के सम्बन्धित किसी मतभेद या विवाद के चलते सामूहिक रूप से तथा अस्थायी अवधि के लिए काम करने से बंद कर देते हैं, तो उसे हड़ताल कहते हैं। जब कोई श्रमिक व्यक्तिगत रूप से काम करने से इनकार करता है तो उसे हड़ताल नहीं कहते हैं। हड़ताल सदा सामूहिक रूप से होती है। कार्य करने से इनकार

Scanned with CamScanner

केवल अस्थायी अवधि के लिए होता है। हड़ताल में नियोजक - कर्मचारी सम्बन्ध समाप्त नहीं होता। हड़ताल पर जाने वाले श्रमिक समझते हैं कि हड़ताल से उनकी नौकरी समाप्त नहीं होती, परिणाम हड़ताल के समाप्ति पर वे स्वयं अपनी नौकरियों पर लौट जायेंगे। हड़ताल अकारण नहीं होकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। ये उद्देश्य नियोजन के किसी भी पहलू से सम्बन्धित हो सकते हैं, यद्यपि हड़ताल के व्यापक राजनीतिक या अन्य कारण भी होते हैं।

हड़ताल के कई प्रकार होते हैं तथा एक कई विधियों को लेकर की सकती है। हड़ताल श्रमिकों, नियोजकों, उपभोक्ताओं तथा सर्व-साधारण को कई तरह से प्रभावित करती रहती है। कई देशों में हड़ताल को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। हड़ताल के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की विवेचना नीचे की जा रही है।

हड़ताल का अर्थ
(Meaning of Strike)

क्लाइड ई० डैंकर्ट (Clyde E Dankert) के शब्दों में - "हड़तालें कर्मचारियों द्वारा परिवेदनाओं के निपटान, मानकों की प्रतिरक्षा या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से तथा अस्थायी कार्य-बंदियाँ हैं।"

(Strikes are concerted and temporary stoppages from work by employees who have grievance to be settled, standards to be defended, or goals to be attained.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार तथा क्लाईड ई० डैंकर्ट की परिभाषाओं से हड़ताल के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का बोध होता है, जो निम्नलिखित हैं

(14) नियमानुसार कार्य करो हड़ताल (Work-to rule Strike)— इस प्रकार की हड़ताल में कर्मचारी नियमों का कठोरता से पालन करते हैं जिससे कार्य की गति बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन मंद-कार्य (go-slow) की तरह स्पष्ट रूप से काम की गति मंद नहीं करते, बल्कि काम करते समय नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और प्रक्रियाओं की बारीकियों पर आवश्यकता से अधिक जोर देने लगते हैं जिससे काम की गति अत्यन्त धीमी हो जाती है। कुछ प्रतिष्ठानों या कार्यालयों में कार्य-पद्धति इस प्रकार की होती है कि अगर उसका कठोरता से पालन किया जाय तो कार्य नहीं के बराबर होता है। बैंक तथा जीवन-बीमा के कर्मचारी इस प्रकार की हड़ताल पर अक्सर की जाते हैं।

(15) सांकेतिक या विरोध हड़ताल (Token or protest strike)— ऐसी हड़ताल साधारणतः भविष्य में हो सकनेवाले संघर्ष की चेतावनी देने के उद्देश्य से की जाती है। सांकेतिक हड़ताल के जरिए नियोजक को अपनी नीति, निर्णय या कृत में परिवर्तन लाने का अवसर दिया जाता है, जिससे भविष्य में संघर्ष को रोका जा सके। सांकेतिक हड़ताल से कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएँ नियोजक तक पहुँचती हैं और एक अच्छी अवस्थिति को दूर करने का प्रयास में लग जाता है।

(16) तड़ित हड़ताल (Lightening strike)— कभी-कभी कर्मचारी किसी आकस्मिक कारणवश बिना किसी पूर्व सूचना के काम बंद कर देते हैं। ऐसी हड़तालें साधारणतः किसी अनैतिक घटना के कारण छोटी अवधि के लिए की जाती हैं। अधिकांशतः तड़ित हड़तालों में कर्मचारी अपनी समस्या का समाधान तत्काल चाहते हैं।

Scanned with CamScanner

में भी आ सकती है। इस कारण, हड़ताल के वर्गीकरण के लिए आधारभूत आधारों का उल्लेख किए बिना ही उनके प्रकारों का उल्लेख अधिक सुविधाजनक है। सामान्यतः, हड़तालें निम्न प्रकार की होती हैं—

(1) साधारण हड़ताल (Ordinary Strike)— साधारण हड़तालें आम तौर से नियोजन की शर्तों एवं दशाओं को लेकर शुरू करती हैं। ऐसी हड़तालों में श्रमिक प्रतिष्ठान के अन्दर नहीं जाते और जो काम करने के लिए प्रतिष्ठान के अन्दर जाना चाहते हैं उन्हें वे धरना, आग्रह या अन्य तरीकों से रोकते हैं। हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए वे प्रदर्शन, घेराव, सत्याग्रह, अनशन आदि का भी सहारा लेते हैं। साधारण हड़ताल किसी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानों के समूह या किसी उद्योग या सेवा के स्तर पर हो सकती है। साधारण हड़ताल का विस्तार-क्षेत्र सामान्यतः संकुचित होता है।

(2) विशिष्ट हड़ताल (Particular strike)— विशिष्ट हड़ताल का विस्तार-क्षेत्र सीमित होता है। जब किसी विशेष प्रतिष्ठान, मिल, उद्योग या स्थानों में श्रमिक हड़ताल करते हैं, तब उसे विशिष्ट हड़ताल कहते हैं। अधिकांश हड़तालें इसी प्रकार की होती हैं। विशिष्ट हड़तालें सबसे अधिक प्रतिष्ठान के स्तर पर होती हैं।

3. व्यापक या आम हड़ताल (General strike)— व्यापक या आम हड़ताल का विस्तार-क्षेत्र व्यापक होता है। इनमें कई उद्योगों या नियोजनों के कर्मचारी एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। आम हड़तालों के विस्तार-क्षेत्र में व्यापक अंतर पाये जाते हैं। कुछ आम हड़तालों में किसी भौगोलिक क्षेत्र में कई उद्योगों या नियोजनों में काम करने वाले श्रमिक सम्मिलित होते हैं, तो कुछ में देश के कई नियोजनों के कर्मचारी काम बंद कर देते हैं। व्यवहार में ऐसी आम हड़ताल का कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें देश के सभी श्रमिकों या कर्मचारियों ने भाग लिया हो। कुछ महत्वपूर्ण

(9) घेराव - हड़ताल (Stay-in strike or sit-down strike)- ऐसी हड़ताल में कर्मचारी काम पर आते तो हैं, लेकिन वे काम नहीं करते। साधारणतः घेराव हड़ताल छोटी अवधि के लिए होती है। कई घेराव हड़तालों में कर्मचारी अपनी समस्या का समाधान शीघ्र चाहते हैं। ~~औरंगा~~

(10) 'औजार रोको' हड़ताल ('Tool-down' Strike) - 'औजार-रोको' हड़ताल में श्रमिक कार्य-स्थल पर जाते तो हैं लेकिन वे औजारों को प्रयोग में लाने से इनकार करते हैं, जिससे सारे कार्य ठप्प पड़ जाते हैं।

(11) 'कलम रोको' हड़ताल ('Pen-down' Strike)- इस प्रकार की हड़ताल मुख्यतः कार्यालयों में होती है जहाँ सारे कार्य लिखने पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे कार्यालयों में कर्मचारी जाते हैं। ~~कि~~ लेकिन लिखने से इनकार कर देते हैं और इस प्रकार कोई भी कार्य नहीं हो पाता।

(12) 'बैठे रहो' हड़ताल ('Sit-down' Strike)- ऐसी हड़ताल में श्रमिक कार्य स्थल पर रहते तो हैं, लेकिन वे बैठे रहते हैं तथा कार्य नहीं करते।

(13) मंदकार्य हड़ताल (Go-slow or slow-down strike)- ऐसी हड़ताल में कर्मचारी काम करना बंद नहीं करते, बल्कि वे अपनी काम की गति धीमी कर देते हैं, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है और सामानों की बर्बादी होने लगती है। मंद कार्य हड़ताल साधारणतः ऐसे समय की जाती है, जिस समय काम का तेजी से संचालन आवश्यक होता है। भारत में चीनी उद्योग के श्रमिक पेराई के मौसम (Crushing season) में इस प्रकार हड़ताल पर प्रायः जाते रहते हैं। गोदियों (Docks) में भी इस तरह की हड़तालें होती रहती हैं। नियोजक ऐसी हड़तालों को अनैतिक समझते हैं और उनका डटकर विरोध करते हैं।

(17) राजनीतिक हड़ताल (Political strike)-

इस प्रकार की हड़तालें सामान्यतः किसी राजनीतिक विषय को लेकर सरकार पर दबाव डालने या जनमत की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं। भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व इस प्रकार की कई हड़तालें विदेशी शासन तथा राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में चलाई गई थीं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद होने वाली राजनीतिक हड़तालों के कुछ मुख्य विषय रहे हैं — राज्यों का पुनर्गठन, भाषा सम्बन्धी निर्णय, मूल्य-वृद्धि, आर्थिक स्थिति, व्यवस्था के प्रति प्रशासन की शिथिलता।

(18) घेराव (Gherao)- भारत में माँगों की पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों के घेराव का तरीका भी अपनाया जाता रहा है। इसमें कर्मचारियों के पदाधिकारियों या प्रबन्धकों को लगातार कई घंटे तक उनके कार्यालय में घेरे रखते हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने देते। घेराव का तरीका संयुक्त मोर्चा सरकारों के काल में पहले पश्चिमी बंगाल और बाद में केरल में व्यापक रूप से अपनाया गया था। बाद में घेराव पर कई न्यायिक निर्णय भी दिये गये। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत घेराव पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, लेकिन आज भी घेराव की कई घटनाएँ होती रहती हैं।

Scanned with CamScanner

आकार के श्रमसंघ के कुछ सदस्य बिना श्रमसंघ की अनुमति के या उसके निर्देश का अवलंबन किए हड़ताल कर बैठते हैं। ऐसी हड़तालों को "वाइल्ड कैट हड़ताल" (wild cat strike) भी कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में 1960 ई० के बाद ऐसी हड़तालें बड़ी संख्या में होने लगी थीं, जिन्हें रोकने के लिए कानूनी तथा अन्य प्रकार के कदम उठाए गए। जहाँ श्रमसंघ उद्योग या राष्ट्र के स्तर पर बनाए जाते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी शाखाएँ होती हैं, वहाँ अनधिकृत हड़तालों की संख्या अधिक होती है।

(7) आधिकारिक हड़ताल (Jurisdictional Strike)– आधिकारिक हड़तालें किसी प्रतिष्ठान या उद्योग के श्रमिक संघों के अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी मतभेद को लेकर शुरू करते हैं। ऐसे मतभेद विशेषकर श्रमिक संघों की मान्यता तथा सामूहिक सौदेबाजी से सम्बन्धित अधिकार को लेकर शुरू करते हैं। उदाहरणार्थ, किसी प्रतिष्ठान या उद्योग में नियोजक सामूहिक सौदेबाजी के लिए किसी खास श्रमिक संघ को मान्यता प्रदान करता है, तो वहाँ के दूसरे श्रमिक संघ मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ को विस्थापित करने तथा स्वयं मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से हड़ताल कर देते हैं। ऐसी हड़ताल को आधिकारिक हड़ताल कहेंगे, जिसमें कर्मचारियों को अपने नियोजक से किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती।

(8) गैर-हाजिर हड़ताल (Stay-away Strike)– ऐसी हड़ताल में कर्मचारी काम के स्थान पर नहीं जाते या अगर जाते भी हैं, तो वे प्रतिष्ठान के परिसर के बाहर ही रहते हैं। अधिकांश साधारण हड़ताल इसी प्रकार की होती है। गैर-हाजिर हड़ताल में कई हड़ताली अपने घर पर ही रहते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह में भी भाग लेते हैं।

Scanned with CamScanner

(i) हड़ताल सदा सामूहिक या सम्मूहिक रूप से की जाती है। व्यक्तिगत श्रमिक द्वारा अकेले काम बंद कर देना या काम करने से इन्कार करना हड़ताल के अन्तर्गत नहीं आता।

(ii) हड़ताल में कार्यबंदी केवल अस्थायी अवधि के लिए की होती है। श्रमिक समझते हैं कि वे नियोजन में लगे हैं और हड़ताल के समाप्ति के बाद वे पुनः काम पर लौट जायेंगे। नियोजक भी जानते हैं कि हड़ताल की समाप्ति पर श्रमिक अपने-अपने काम फिर करने लगेंगे। हड़ताल से नियोजक-नियोजित संबंध समाप्त नहीं होता।

(iii) हड़ताल के पीछे उद्देश्य भी होते हैं। साधारणतः, हड़तालें नियोजन की शर्तों एवं दशाओं में सुधार लाने या श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। हड़ताल के पीछे उद्देश्य अल्पकालीन या दीर्घ कालीन दोनों हो सकते हैं। लेकिन, कुछ हड़तालें व्यापक राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक विषयों को लेकर भी हुआ करती हैं। कभी-कभी श्रमसंघों के पारस्परिक संघर्षों के कारण भी हड़तालें होती हैं।

हड़ताल के प्रकार
(Forms of strike)

हड़तालों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है जैसे विस्तार, उनमें व्यवहृत तरीके, श्रम संघ के समग्र प्रतिष्ठान की स्वीकृति या अस्वीकृति, उनके मूलभूत उद्देश्यों आदि के आधार पर। यह भी संभव है कि एक ही हड़ताल विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कई श्रेणियों में सम्मिलित हो। उदाहरणार्थ, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत आर्थिक या राजनीतिक हड़ताल विस्तार के आधार पर वर्गीकृत सामान्य या विशिष्ट हड़ताल की श्रेणी

आम हड़तालों का उदाहरण है— ग्रेट ब्रिटेन में 1926 ई० की आम हड़ताल तथा फ्रांस में 1938 ई० की आम हड़ताल। कई आम हड़तालें राजनीतिक उद्देश्यों से भी की जाती हैं। भारत में बंद के आम हड़ताल की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। कुछ उग्रवादी (radicals) तथा सिंडिकेलिस्ट्स (Syndicalists) आम हड़ताल को राजनीतिक परिवर्तन या क्रांति के लिए महत्वपूर्ण साधन समझते हैं।

(4) सहानुभूतिक हड़ताल (Sympathetic strike)— सहानुभूतिक हड़ताल में कर्मचारियों को अपने नियोजक से प्रत्यक्ष रूप से कोई शिकायत नहीं होती। ऐसी हड़तालें दूसरे उद्योगों या नियोजकों के हड़ताली कर्मचारियों की सहानुभूति में तथा उनके साथ भाईचारे की भावना अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से की जाती है। सहानुभूतिक हड़तालों में यह आशा की जाती है कि ऐसी हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के नियोजक उन कर्मचारियों के नियोजक पर दबाव डालेंगे जिनकी माँगों के समर्थन में सहानुभूतिक हड़ताल की गई है।

(5) प्राधिकृत हड़ताल (Authorised Strike)— जो हड़ताल श्रम-संघ के समुचित निकाय, जैसे- कार्यकारिणी या आम सभा के आह्वान पर की जाती है, उसे प्राधिकृत हड़ताल कहते हैं। कई श्रमसंघों के संविधान में उस अवयव का उल्लेख रहता है। जिसके आह्वान पर संघ के सदस्य हड़ताल पर जाएँगे।

(6) अनधिकृत हड़ताल (Unauthorised strike)- जो हड़तालें समुचित निकाय, जैसे कार्यकारिणी या आम सभा के आह्वान पर या उसके निर्देशानुसार नहीं होती, उन्हें अनधिकृत हड़ताल कहते हैं। अर्थात् ऐसी हड़ताल श्रमिक संघ के सक्षम अधिकारियों या नियमों के निर्देश के प्रतिकूल चलाई जाती है, अनधिकृत हड़तालें कहलाती हैं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि बड़े बड़े

अल्पवय व्यक्ति (young person)— अल्पवय व्यक्ति का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो या तो बालक या कुमार है।

धारा 2(d)

वयस्क (Adult)— वयस्क का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया है।

धारा 2(a).

सप्ताह (Week)— सप्ताह का अभिप्राय शनिवार की रात्रि या इस तरह की अन्य रात्रि से आरंभ होने वाली सात दिनों की अवधि से है जो मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित रूप में स्वीकृत हो।

धारा 2(f)

परिसंकटमय प्रक्रिया (hazardous operation)— परिसंकटमय प्रक्रिया का अभिप्राय अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित किसी उद्योग से संबंधित ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप से है, जिससे समुचित सावधानी के अभाव में उसमें व्यवहृत किए जानेवाले कच्चे माल, मध्यवर्ती या तैयार माल, उप उत्पाद (bye product) उससे निकले कचरे या बहि:स्राव के चलते, उसमें लगे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को क्षति हो या सामान्य पर्यावरण प्रदूषित हो।

धारा 2(cb)